



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072021-228508
CG-DL-E-28072021-228508

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2741]

No. 2741]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 27, 2021/श्रावण 5, 1943

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 27, 2021/SRAVANA 5, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2021

का.आ. 2947(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के कच्छ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग- 341 के कि.मी. 38.300 से कि.मी. 65.478 (चुबडक से भुज) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप जिला अधिकारी भुज गुजरात को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य के कच्छ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग- 341 के कि.मी. 38.300 से कि.मी. 65.478 (चुबडक से भुज) तक भू. अर्जन के लिए अर्जित की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: गुजरात		जिले का नाम: कच्छ			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: भुज					
गांव का नाम: भुज शीम					
1	494	निजी	कृषि	0.0189000(हेक्टेयर)	0.0189000
गांव का नाम: चुबडक					
1	185/1	सरकारी	सरकारी पड़त	0.0147000(हेक्टेयर)	0.0147000
2	204	सरकारी	सरकारी पड़त	0.0383000(हेक्टेयर)	0.0383000
गांव का नाम: कुकमा					
1	39/2	निजी	कृषि	0.6646000(हेक्टेयर)	0.6646000
2	62/1,62/2, 62/3,Road	निजी	गैर कृषि	0.0673000(हेक्टेयर)	0.0673000
3	73/4,Road	निजी	गैर कृषि	0.0579000(हेक्टेयर)	0.0579000
4	95/6	निजी	गैर कृषि	0.0636000(हेक्टेयर)	0.0636000
गांव का नाम: रेलड़ी मोटी					
1	110/2	सरकारी	सरकारी पड़त	0.1872000(हेक्टेयर)	0.1872000
2	167/Paki 1, 167/paki2	निजी	कृषि	0.5152000(हेक्टेयर)	0.5152000
कुल				1.6277	1.6277

[फा. सं. NHAI/Four Lane/GDM/_____/2017/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th July, 2021

S.O. 2947(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 341, in the stretch of land from Km 38.300 to Km 65.478 (Chubdak to Bhuj) in the district of KACHCHH in the state of GUJARAT, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, SDM Bhuj in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from (Km. 38.300 to Km. 65.578) on the National Highways No. 341 (Chubdak to Bhuj) in the State of Gujrat.

State: GUJARAT		District: KACHCHH			
Sl.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Bhuj					
Village: Bhuj Sheem					
1	494	Private	Agricultural	0.0189000(Hectare)	0.0189000
Village: Chubdak					
1	185/1	Government	Govt. Padat	0.0147000(Hectare)	0.0147000
2	204	Government	Govt. Padat	0.0383000(Hectare)	0.0383000
Village: Kukma					
1	39/2	Private	Agricultural	0.6646000(Hectare)	0.6646000
2	62/1,62/2, 62/3,Road	Private	Non- Agricultural	0.0673000(Hectare)	0.0673000
3	73/4,Road	Private	Non- Agricultural	0.0579000(Hectare)	0.0579000
4	95/6	Private	Non- Agricultural	0.0636000(Hectare)	0.0636000

Village: Reldi Moti					
1	110/2	Government	Govt. Padat	0.1872000(Hectare)	0.1872000
2	167/Paki 1, 167/paki2	Private	Agricultural	0.5152000(Hectare)	0.5152000
Total				1.6277	1.6277

[F. No. NHAI/Four Lane/GDM/_____/2017/3A]

RAJESH GUPTA, Director